क़ार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4—सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून — 248001

Email : election09@gmail.com
ceo_uttaranchal@eci.gov.in

फोन न0 (0135)— 2713551, 2713552
फैक्स न0 (0135) — 2713724,

संख्या— 2790/ XXV — 32/ 2017 देहरादून : दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

—: ई—निविदा सूचना :—

1:—	कार्य का नाम :— (दो अलग—अलग निविदाएं)	:	क—विधान सभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिंग कार्य। ख—मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी हेतु Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति एवं Printing of Elector Details on PVC Cards.
2:—	शासकीय वेबसाईट http://uktenders.gov.in पर निविदा उपलब्ध होने की तिथि	:	15 दिसम्बर, 2017
3:—	निविदा हेतु निर्धारित नियम—शर्तों के अनुसार शासकीय वेबसाईट http://uktenders.gov.in से निविदा डाउनलोड करने और On- Line ई—निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय।	:	दिनांक 03 जनवरी, 2018 (बुधवार) पूर्वान्ह 11:00 बजे तक
4:—	उक्त दोनों निविदाओं की नियमानुसार तकनीकी ई—निविदा खोले जाने की तिथि और समय।	:	दिनांक 03 जनवरी, 2018 (बुधवार) अपरान्ह 02:00 बजे से

5:— उक्त संबंध में किसी भी जानकारी के लिए कार्यालय के उपरोक्त टेलीफोन नम्बर और ई—मेल आई डी. के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय,

(सौजन्या)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

<u>प्रतिलिपि</u> :— महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को सर्व साधारण की व्यापक जानकारी के लिए सर्वाधिक परिचलन के चार समाचार पत्रों में (जिसमें सर्वाधिक परिचलन के दो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र, और दो सर्वाधिक परिचलन के उत्तराखण्ड के सामाचार पत्रों के उत्तराखण्ड संस्करण में) अधिकत्तम साईज **8X10 सेमी.** जिसमें उपरोक्तानुसार कार्यालय का सम्पूर्ण Header (शीर्षलेख) भी सम्मिलित है, में तत्काल प्रकाशित करवाते हुए प्रकाशन संबंधी बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत करवाने का कष्ट करें।

(सौजन्या)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड सरकार,
निर्वाचन विभाग

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़ देहरादून।
टेलीफोन– 0135–2713551, 2713552 फैक्स नं0–2713724
Email ID = election09@gmail.com & ceo_uttaranchal@eci.gov.in

संख्या– 2790/XXV – 32 / 2017 दिनांकः देहरादून 15 दिसम्बर, 2017

विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिंग हेतु "ई–निविदा"

भाग–एक

ई–निविदा आवेदन हेतु शुल्क ₹5000.00 (पाँच हजार) **Non Refundable**

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिंग हेतु GST पंजीकृत अनुभवी, प्रतिष्ठित फर्मों आदि से निम्न प्रकार द्वि–निविदा प्रणाली के अन्तर्गत वेबसाईट **www.uktenders.gov.in** के माध्यम से ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

01.	वेबसाईट **www.uktenders.gov.in** पर निविदा उपलब्ध होने की तिथि	:	15...दिसम्बर, 2017
02.	वेबसाईट **www.uktenders.gov.in** पर नियत शर्तों–निर्देशों के अनुसार तकनीकी और वित्तीय ई–निविदा ऑन लाईन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	03 जनवरी, 2018 बुधवार पूर्वान्ह 11:00 बजे
	निर्धारित नियम–शर्तों/निर्देशों के अनुसार तकनीकी ई–निविदा के रूप में अन्य अभिलेखों के साथ–साथ वेबसाईट में अपलोड ई–निविदा आवेदन शुल्क और धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) का अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक की मूलप्रति (Original Copy) से संबंधित सील्ड लिफाफा जिसके शीर्ष में "***निर्वाचक नामावली लेजर प्रिन्टिगं हेतु ई–निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो भी हो लिखा होना चाहिए,***" को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	:	03 जनवरी, 2018 बुधवार पूर्वान्ह 11:00 बजे
03.	निविदा समिति/अधिकृत अधिकारियों द्वारा ई–निविदा की तकनीकी निविदा खोले जाने तथा नियमानुसार तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन आदि हेतु तिथि और समय	:	03 जनवरी, 2018 बुधवार अपरान्ह 02:00 बजे से
04.	तकनीकी ई–निविदा में सफल निविदा–दाताओं की नियमानुसार वित्तीय ई–निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	:	सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार यथा समय।

B.S.Rawat

कार्य क्षेत्र में समाहित कार्य का विवरण
(Scope of Work)

1. उत्तराखण्ड राज्य की समस्त 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के 10870 मतदेय स्थलों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिंग करना। (केवल कम से कम 1200 DPI पर लेजर प्रिन्टिग ही, किसी भी स्थिति में फोटो स्टेट नहीं)
2. लेजर प्रिन्टिग के पश्चात प्रत्येक मतदेय स्थल की निर्वाचक नामावली को क्रमबद्ध ढ़ंग से (पृष्ठवार) Staple करना।
3. Staple करने के पश्चात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सेट तैयार करना, अर्थात यदि एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 001 से 142 तक मतदेय स्थल हैं तो मतदेय स्थल संख्या–001 से 142 तक की निर्वाचक नामावली को क्रमबद्ध लगाकर सेट बनाना। प्रत्येक सेट के नीचे और ऊपर Suport के लिए मजबूत मोटा गता A4 साइज रखकर सेट को चारों ओर से मजबूत रस्सी से बांधना।
4. प्रत्येक वर्ष विधान सभा निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल की निर्वाचक नामावली की लगभग 10–10 कॉपी लेजर प्रिन्टिगं करवाई जाती है किन्तु निर्वाचन वर्ष के दौरान लेजर प्रिन्टिंग कॉपियों की संख्या दुगुने से ज्यादा भी हो सकती है और कदाचित किसी वर्ष 10 कॉपी से कम भी हो सकती है। अर्थात लेजर प्रिन्टिंग कॉपियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।
5. कार्यादेश के पश्चात निर्धारित अवधि के अन्दर लेजर प्रिन्टिग करना, मतदेय स्थलवार Staple कर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सेट बनाकर प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय भण्डार (राज्य के समस्त 13 जनपदों में स्थित जिला निर्वाचन कार्यालयों) तक पहुँचना।
6. वर्तमान में दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 की आलेख्य निर्वाचक नामावली के अनुसार प्राप्त मतदाताओं और मतदेय स्थलों के आधार पर जनपदवार प्रत्येक मतदेय स्थल की 10–10 कॉपी लेजर प्रिन्टिंग किए जाने के अनुमान के आधार पर कुल पृष्ठों, अनुमानित व्यय का जनपदवार विवरण निम्न प्रकार हैः–

जनपद का नाम	10.10.2017 की स्थिति के अनुसार कुल		अनुमानित पेज (प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए 10 कॉपी लेजर प्रिन्टिगं करने पर)		अनुमानित कुल पेज	ई–निविदा हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (EMD) (₹)
	मतदेय स्थल	मतदाता	फोटो सहित	फोटो रहित		
1.उत्तरकाशी	502	219073	73024	15160	88184	5000
2.चमोली	552	289906	96635	16660	113295	5000
3.रूद्रप्रयाग	312	180314	60105	9460	69565	5000
4.टिहरी गढ़वाल	914	493850	164617	27520	192137	10000
5.देहरादून	1725	1367161	455720	51850	507570	21000
6.हरिद्वार	1638	1302402	434134	49240	483374	20000
7.पौड़ी गढ़वाल	880	547520	182507	26500	209007	10000
8.पिथौरागढ़	579	366946	122315	17470	139785	10000
9.बोगश्वर	349	205221	68407	10570	78977	5000
10.अल्मोड़ा	863	524746	174915	25990	200905	10000
11.चम्पावत	320	188561	62854	9700	72554	5000
12.नैनीताल	914	711650	237217	27520	264737	12000
13.ऊधमसिंहनगर	1322	1139845	379948	39760	419708	20000
Grand Total-	**10870**	**7537195**	**2512398**	**327400**	**2839798**	**138000**

B S Rawat

–: ई–निविदा–दाताओं के लिए विशेष निर्देश एवं आवश्यक शर्तें :–

1) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में दो प्रस्ताव निविदा प्रणाली के आधार पर **फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग एवं आपूर्ति हेतु फर्मों को सूचीबद्ध किए जाने हेतु** इच्छुक निविदा–दाताओं से **दिनांक 03 जनवरी, 2018 (बुधवार) पूर्वान्ह 11:00 बजे तक** वेबसाईट **www.uktenders.gov.in** के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय ई–निविदा केवल ऑन लाईन आमंत्रित की जाती है।

2) ई–निविदा में प्रतिभाग करने के लिए निविदादाताओं के पास DSC (Digital Signature Certificate) होना अनिवार्य है।

3) निविदा–दाता द्वारा तकनीकी बिड **ANNEXURE-1** में एवं वित्तीय बिड **BOQ** में केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म आदि के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड के साथ विभागीय ई–निविदा के इस सम्पूर्ण अभिलेख को भी हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

4) उल्लिखित अन्तिम तिथि व समय तक प्राप्त **ई–निविदाओं** की तकनीकी निविदाओं को, **दिनांक 03 जनवरी, 2018 (बुधवार) को अपरान्ह 02:00 बजे से** निविदा समिति के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा खोला जायेगा और तत्पश्चात तकनीकी ई–निविदाओं का अधिकृत सक्षम अधिकारियों के द्वारा मूल्यांकन (Evaluation) किया जायेगा।

5) निविदा–दाता फर्म आदि का **GST रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अभिलेखों की सत्यापित छाया प्रति,** जिसमें पैन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति भी हो, ई–तकनीकी निविदा के साथ उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

6) निविदा दाता फर्म आदि का उत्तराखण्ड राज्य में कार्यालय/कार्यशाला होना चाहिए तथा कार्यशाला में स्थापित लेजर प्रिन्टरों की कुल संख्या तथा अन्य अपेक्षित विवरण की प्रति Annexure-2 पर प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

7) फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों/मतदाता फोटो पहचान पत्रों की सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त लेजर प्रिन्टिग/आपूर्ति /विभिन्न सरकारी विभाग/कार्यालय में समान प्रकृति के प्रिंटिग आदि कार्य करने का **विगत कम से कम तीन साल का अनुभव** होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति ई–तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

8) फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त लेजर प्रिन्टिग/विभिन्न शासकीय विभाग/कार्यालयों में समान प्रकृति के कार्यों का विगत तीन वर्षों में ***(वित्तीय वर्ष–2014–15, 2015–16 एवं 2016–17)*** *प्रत्येक वर्ष में* ***कम से कम ₹ 05.00 लाख (पांच लाख)*** टर्न ओवर होना चाहिए। *इसी प्रकार उल्लिखित तीनो वित्तीय वर्ष में प्रत्येक वर्ष में फर्म का कम से कम कुल* ***₹ 20.00 लाख (बीस लाख)*** का ***टर्नओवर होना चाहिए। टर्नओवर से संबंधित सी0ए0 के द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंस शीट की प्रमाणित छाया प्रति, जिसमें फर्म के कार्यालय एवं कार्यशाला में स्थापित लेजर प्रिन्टरों तथा स्थापित अन्य उपकरणों के मूल्यांकन (Evaluation) का उल्लेख भी किया गया हो, ई–तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।*** **निर्दिष्ट निविदा मूल्य के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वित्तीय हैसियत प्रमाण पत्र का प्रमाणित अभिलेखीय साक्ष्य भी** ***ई–तकनीकी निविदा के साथ*** **उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।**

BsRawat

9) विगत तीन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में **₹10.00 लाख** तक के एकमुश्त कार्यादेश की प्रति/सन्तोषजनक कार्य करने के पश्चात भुगतान सम्बन्धी वांछित अभिलेखों की प्रति भी संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

10) निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म आदि को भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। फर्म आदि को **₹100.00 के नॉन जूडिशियल** स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ–पत्र ***ई–तकनीकी निविदा के साथ*** प्रस्तुत करना होगा कि:–

   1– फर्म आदि किसी भी राज्य में ब्लेक लिस्टेड नहीं है और न ही उसकी जमानत की धनराशि को जब्त किया गया है।

   2– किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी प्रकार का विधिक विवाद भी नहीं है।

   3– तकनीकी ई–निविदा के साथ फर्म द्वारा प्रस्तुत सभी सूचनाएं/अभिलेख सत्य हैं और कोई भी सूचना, जिसे निविदा के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था छिपाई नहीं गई है।

11) निविदा–दाता फर्म आदि को **आयकर एवं अन्य किसी भी कर जो भी देय हों, का बकायादार/देनदार नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष–2016–17 तक** के जमा आयकर रिटर्न से **संबंधित रसीद/अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति *ई–तकनीकी निविदा के साथ* प्रस्तुत करनी** अनिवार्य होगी।

12) निविदा के साथ धरोहर (EMD) के रूप में **निविदा Document के भाग–2** में अंकित तालिका में विवरण के अनुसार प्रत्येक जनपद के लिए धरोहर की धनराशि नियत की गई है, तदनुसार जिस जनपद के लिए ई–निविदा प्रस्तुत की जा रही है उसके अनुसार धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, बैंक गारण्टी या सावधि जमा रसीद जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, और **मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड (Chief Electoral Officer Uttarakhand)** के पक्ष में तैयार किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13) धरोहर की धनराशि का बैंक ड्रफ्ट या अपेक्षानुसार अन्य जो भी हो, की फोटो स्टेट स्व प्रमाणित प्रति तकनीकी ई–निविदा के साथ में वेबसाईट में अपलोड करनी होगी और इसकी मूल प्रति जिसके पृष्ठ भाग पर फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षर किया गया हो, को एक सीब्ल्ड लिफाफें में रखते हुए लिफाफे के शीर्ष पर ***"विधान सभा निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिंग हेतु निविदा के लिए धरोहर धनराशि लिखा हो"*** और फर्म का पूरा नाम और पता भी स्पष्ट अंकित किया गया हो दिनांक 03 जनवरी, 2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़ देहरादून में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई फर्म राज्य के समस्त जनपदों के लिए अपनी निविदा प्रस्तुत कर रही हो तो धरोहर धनराशि एक ही बैंक ड्राफ्ट अथवा अन्य जो भी अपेक्षित है प्रस्तुत किया जा सकता है किन्तु यदि केवल एक या कुछ ही जनपदों के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है तो तदनुसार अलग–अलग जनपद के लिए धरोहर की धनराशि के अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट या अन्य जो भी अपेक्षित है अलग–अलग प्रस्तुत करने होंगें।

14) निर्वाचन कार्यों की तात्कालिकता, महत्ता और समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए निविदा–दाता फर्म आदि का **उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत** विगत कम से कम तीन वर्षों से **पूर्ण रूप से स्थापित कार्यालय एवं कार्यशाला का होना नितान्त आवश्यक होगा।**

15) निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म आदि के पास **प्रत्येक दिन कम से कम 1.00 लाख पेज लेजर प्रिन्ट करने** की क्षमता रखने वाले उच्च गुणवत्ता के लेजर प्रिन्टर होने चाहिए। लेजर प्रिन्टिंग **कम से कम 1200DPI** पर ही स्वीकार की जायेगी उक्त नियत **DPI** से कम की लेजर प्रिन्टिग स्वीकार नहीं की जायेगी। और न ही इससे अधिक की **DPI** पर लेजर प्रिन्टिग करने पर कोई अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।

16) लेजर प्रिन्टिग पर उच्च गुणवत्तायुक्त कम से कम **75 GSM** का फोटो स्टेट पेपर ही प्रयोग में लाया जायेगा **इससे न्यून गुणवत्ता** का कागज निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

17) मतदेय स्थलवार निर्वाचक नामावली का कवर पेज + नजरी नक्शा एक ही पेज पर आगे पीछे लेजर प्रिन्ट किए जायेंगे और शेष फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के पेज तथा समरी पेज प्रत्येक कागज पर एक तरफ ही लेजर प्रिन्ट किए जायेंगे।

18) निर्धारित गुणवत्तायुक्त कागज पर नियत गुणवत्ता के साथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार/मतदेय स्थलवार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग करने के साथ–साथ निविदा अभिलेख के भाग–2 के प्रस्तर–3, 5 के अनुसार इन्हें मतदेय स्थलवार Stapler करने, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सुरक्षित ढंग से सेट तैयार कर कार्यादेश में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जिला निर्वाचन कार्यालयों के भण्डार कक्ष तक पहुँचाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म आदि का ही होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय भण्डार तक उक्तानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के सेट पहुँचाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी किराया–भाड़ा और लोडिंग/अनलोडिंग हेतु मजदूरी आदि देय नहीं होगी।

19) निविदा के साथ अपेक्षित **धरोहर की धनराशि अपेक्षानुरूप** प्रस्तुत न करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। तकनीकी ई–निविदा ANNEXURE-1 के साथ सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र रखे जायेंगे। वित्तीय ई–निविदा हेतु केवल BOQ में Online प्रस्तुत की जायेगी।

20) निर्धारित तिथि, समय पर निविदा समिति के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा ई–तकनीकी निवादाएं खोली जायेगी। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण के उपरान्त अर्ह निविदा–दाताओं की सूची तैयार की जायेगी। ई–तकनीकी निविदा में अर्ह पाये गये निविदा–दाताओं की ही यथा समय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार वित्तीय ई–निविदाएं खोली जायेगी। अन्य अनर्ह पाए गए निविदा–दाताओं की वित्तीय ई–निविदा नहीं खोली जायेंगी।

21) नियमानुसार ई–तकनीकी निविदा में अर्ह पाई गई फर्म आदि की ई–वित्तीय निविदा को ही खोला जायेगा। ई–वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात जिस फर्म आदि को न्यूनत्तम निविदा के आधार पर एल0–1 की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा ऐसी किसी भी फर्म आदि को उनके द्वारा प्रस्तुत न्यूनत्तम दर के आधार पर आगणित धनराशि का ***10 प्रतिशत की धनराशि*** एकाउण्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट, कमर्शियल बैंक की फिक्स डिपोजिट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारण्टी **के द्वारा कार्यपूर्ति जमानत के रूप में प्रस्तुत करनी होगी, जिसकी वैधता तीन वर्ष छः माह की होनी चाहिए।** फर्म आदि के लिखित अनुरोध पर उसकी निविदा धरोहर की धनराशि को जमानत की धनराशि में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। कदाचित जमानत की धनराशि, धरोहर की धनराशि से कम होने पर धरोहर की पूर्ण धनराशि को ही जमानत के रूप में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा इसके किसी भाग को वापस नहीं लौटाया जायेगा।

22) ई–वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात निविदा समिति के द्वारा एल0–01 में वर्गीकृत फर्म आदि के द्वारा, कदाचित यदि उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर करने के

B. S. Rawat

लिखित/मौखिक अनुरोध किया जाता है, या निर्धारित तिथि, समय तक अपेक्षित जमानत की धनराशि जमा नहीं की जाती है, या किसी भी प्रकार से निविदा प्रक्रिया से बाहर होने/सम्मिलित होने पर असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

23) निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर एल0–01 में वर्गीकृत फर्म आदि द्वारा कार्यादेश निर्गत होने पर नियत तिथि तक अपेक्षित गुणवत्ता के साथ निर्धारित मात्रा में निर्वाचक नामावली के सेट उपलब्ध न कराने पर संबंधित फर्म की जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और फर्म को नियमानुसार ब्लेक लिस्टेड करते हुए **Liquidated Damage के रूप में कार्यादेश के अनुरूप अनुमानित व्यय का कम से कम 20 प्रतिशत धनराशि के भुगतान का विभाग द्वारा दावा किया जा सकेगा,जो जमानत** की जब्त की गई धनराशि के अतिरिक्त होगी। ऐसी स्थिति में विभाग, फर्म आदि के विरूद्ध न्यायिक/दण्डात्मक कार्यवाही के लिए भी स्वतंत्र होगा।

24) समय पर सन्तोषजनक ढंग से लेजर प्रिन्टिग के पश्चात फैक्ट्री/कम्पनी आदि से गन्तव्य तक ट्रॉसपोर्टेशन, लोडिंग–अनलोडिंग या अन्य किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा और इस हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा या क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। फर्म/कम्पनी/साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि उक्त के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

25) नियमानुसार किसी भी फर्म/कम्पनी आदि की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात फर्म/कम्पनी आदि को **₹100.00 रूपये के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेपर** पर तत्काल अनुबन्ध करना होगा जिसकी विषय वस्तु से यथा समय अवगत करा दिया जायेगा।

26) **तकनीकी ई–निविदा** के रूप में निम्नलिखित अभिलेखों आदि की **स्व प्रमाणित छाया प्रति जिनके** प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म/कम्पनी की मुहर भी लगी हो तथा फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर किए गए हों ANNEXURE-1 पर सांराश सहित रखी होनी चाहिए:–

1–GST रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अभिलेख

2–फर्म आदि का पैन कार्ड

3–फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त लेजर प्रिन्टिग *करने का अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, यदि कोई हो*

4–अपेक्षित वित्तीय वर्षों की टर्नओवर से संबंधित सी0ए0द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट की प्रमाणित छाया प्रति।

5–ब्लेक लिस्टेड न होने का नोटरी के समक्ष तैयार शपथ–पत्र **मूल में**

6–विगत तीन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में **₹10.00 लाख** तक के एकमुश्त कार्यादेश की प्रति/सन्तोषजनक कार्य करने के पश्चात भुगतान सम्बन्धी वांछित अभिलेख।

7–किसी भी प्रकार के कर जो भी देय हों, का बकायादार/देनदार नहीं होने, वित्तीय वर्ष–2016–17 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेख की स्व प्रमाणित छाया प्रति।

8–धरोहर की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट अपेक्षानुसार।

B S Rawat

9–निविदा हेतु निर्धारित नियम/शर्तों के इस अभिलेख की स्व प्रमाणित छाया प्रति जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म/कम्पनी आदि की मुहर सहित अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हों।

10– निर्दिष्ट निविदा मूल्य के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वित्तीय हैसियत प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति ।

11–अन्य यदि कोई अभिलेख हों, फर्म/कम्पनी की मुहर अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित।

12– फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त लेजर प्रिन्टिग/विभिन्न शासकीय विभाग/कार्यालयों में समान प्रकृति के कार्यों का विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में **कम से कम ₹ 05.00 लाख (पांच लाख)** टर्न ओवर कार्य की प्रमाणित प्रति।

13–उत्तराखण्ड राज्य में कार्यालय/कार्यशाला का विवरण, कार्यशाला में स्थापित लेजर प्रिन्टरों की कुल संख्या तथा अन्य अपेक्षित विवरण की प्रति Annexure-2 पर

27) **तकनीकी ई–निविदा में प्राप्त अभिलेखों के आधार पर अर्ह पाई गई फर्म आदि का उत्तराखण्ड राज्य में कार्यालय एवं कार्यशाला स्थापित होने एवं कार्य क्षमता आदि का विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा जिसमें कार्यशाला में स्थापित लेजर प्रिन्टरों/वर्करों आदि का विशेष रूप से सत्यापन कर क्षमता का आंकलन किया जायेगा। कार्यालय/कार्यशाला के भौतिक सत्यापन के पश्चात ही अन्तिम रूप से तकनीकी ई–निविदा की अर्हता का मूल्यांकन किया जायेगा। अन्तिम रूप से तकनीकी अर्हता के आधार पर अर्ह पाई गई निविदाओं के आधार पर ही वित्तीय ई–निविदाओं को खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी। कार्यालय एवं कार्यशाला के सत्यापन की उक्त कार्यवाही तकनीकी ई–निविदाओं को खोले जाने की कार्यवाही के पश्चात ही, सचिव एवं मु0नि0अ0 द्वारा अधिकृत अधिकारियों के द्वारा यथा समय सुनिश्चित की जायेगी।**

28) **वित्तीय ई–निविदा** के प्रारूप BOQ में केवल फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिग की दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिए। BOQ में प्रस्तुत वित्तीय ई–निविदा में प्रस्तुत दर में GST (CGST & SGST), **गन्तव्य तक परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित)** सम्मिलित होंगी।

29) कार्यापूर्ति आदेश के पश्चात फर्म/कम्पनी के द्वारा लेजर प्रिन्टिग के पश्चात आपूर्ति की गई फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली लेजर प्रिन्टिग, कागज और Stapler की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर निर्वाचन विभाग द्वारा सक्षम तकनीकी विभाग/कार्यालय/प्रयोगशाला से जॉच करवाई जा सकती है तथा जॉचोपरान्त गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित देयकों का न तो भुगतान किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा साथ ही जमानत की धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए संबंधित फर्म आदि स्वयं उत्तरदायी होगी। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही करते हुए **प्रस्तर–22** के अनुसार क्षतिपूर्ति का दावा भी किया जा सकेगा।

30) निविदा शर्तों के अधीन सन्तोषजनक ढंग से आपूर्ति किए जाने के फलस्वरूप विभाग का समाधान हो जाने के पश्चात ही आपूर्तिकर्ता फर्म/कम्पनी आदि को एक माह पश्चात अथवा निविदा की वैद्यता समाप्ति के पश्चात सचिव एवं मु0नि0अ0 अधिकारी के निर्देशानुसार ही उनकी जमानत की धनराशि लौटाए जाने पर विचार किया जायेगा।

B S Rawat

31) देयक की कुल धनराशि के सापेक्ष विभाग द्वारा नियमानुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जायेगी। लेजर प्रिन्टिग सम्बन्धी देयकों का भुगतान जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा किया जायेगा।

32) सामान्यतः धरोहर धनराशि की वैधता निविदा की अन्तिम वैध अवधि के पश्चात 45 दिन होगी परन्तु इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। तकनीकी रूप असफल निविदा–दाताओं की धरोहर की धनराशि ऐसी निविदाओं की अस्वीकृति के तुरंत पश्चात संबंधित फर्म को वापस लौटा दी जायेगी।

33) एक से अधिक फर्मों की न्यूनत्तम दर एक समान होने पर कार्य का आवंटन सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। निर्वाचन कार्यों की तात्कालिकता, महत्ता एवं समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर एल–01 में वर्गीकृत (अन्तिम रूप से तकनीकी अर्हता प्राप्त फर्म की न्यूनत्तम दर) फर्म एवं तकनीकी आधार पर अन्तिम रूप से अर्ह पाई गई अन्य फर्म/फर्मों आदि के मध्य एल–01 की न्यूनत्तम दरों पर **जनपदवार /विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार कार्य विभाजन करने का अधिकार भी सचिव एवं मु0नि0अ0 के पास सुरक्षित होगा।**

34) **फर्म/फर्मों की एल–01 की न्यूनत्तम दरों से अनुरूप (Match)होने पर भी फर्म/फर्मों की समयान्तर्गत कार्यक्षमता सिद्ध न होने पर संबंधित फर्म/फर्मों आदि को कार्यादेश निर्गत करने की कोई वाध्यता नहीं होगी। पूर्ण रूप से तकनीकी अर्हता सिद्ध होने पर ही कार्य विभाजन का अधिकार सचिव एवं मु0नि0अ0 के पास सुरक्षित होगा।**

35) सचिव एवं मु0नि0अ0 द्वारा एल–01 के आधार पर एक से अधिक फर्मों/कम्पनी आदि को कार्य विभाजन के उपरान्त कार्यदेश निर्गत करने पर कार्यदेश के अनुरूप अनुमानित व्यय के सापेक्ष प्रत्येक फर्म/कम्पनी आदि को निविदा में उल्लिखित नियम/शर्तों के अनुसार **10 प्रतिशत** की धनराशि जमानत के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। फर्म/कम्पनी के लिखित अनुरोध पर धरोहर की धनराशि को जमानत की धनराशि के रूप में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। कदाचित जमानत की धनराशि धरोहर की धनराशि से कम होने पर धरोहर की पूर्ण धनराशि को ही जमानत के रूप में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा इसके किसी भाग को वापस नहीं लौटाया जायेगा।

36) लेजर प्रिन्टिग जिला निर्वाचन कार्यालयों से प्राप्त तद् विषयक PDF DVD से ही सुनिश्चित की जायेगी। फर्म/फर्मों आदि को फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग हेतु निर्गत कार्यादेश में उल्लिखित निर्धारित तिथि तक अपेक्षित मात्रा में लेजर प्रिन्ट सेट F O R तक उपलब्ध कराने अनिवार्य होंगे। निर्धारित अवधि में अधिकत्तम 24 घण्टे की अवधि ट्रान्सपोर्टेशन की अवधि भी सम्मिलित होगी। लेजर प्रिन्टिग का कार्य पूर्ण होने पर संबंधित फर्म को इस आशय का एक शपथ–पत्र भी संबंधित देयकों के साथ प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा उक्त PDF की न तो कोई कॉपी की गई है और न ही विभाग की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को इसकी कॉपी उपलब्ध कराई गई है। देयकों के साथ मूल PDF DVD विभाग को वापस करने का उत्तरदायित्व भी संबंधित फर्म/कम्पनी आदि का होगा।

37) निविदा–दाता फर्म आदि के द्वारा जिस फर्म के नाम पर ई–निविदा के माध्यम से अपनी निविदा प्रस्तुत की गई है, उसी फर्म आदि के नाम से सभी तकनीकी अभिलेख (ई–तकनीकी निविदा में जो भी अपेक्षित है) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। **तकनीकी ई–निविदा के रूप अपलोड किए गए कोई भी अभिलेख केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में ही होने चाहिए और सुस्पष्ट रूप सॉफ और पठनीय होने चाहिए।**

B.S. Rawat

38) निविदा की वैद्यता तीन वर्ष होगी किन्तु कदाचित अपरिहार्य परिस्थिति में निविदा की वैद्यता की अवधि को कम करने और समाप्त करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

39) ई–निविदा आवेदन पत्र में समस्त सूचनाएं यथा स्थान स्पष्ट पठनीय लेख में हों एवं तकनीकी ई–निविदा में अपलोड किए गए वांछित सभी अभिलेख क्रमबद्ध रूप से संलग्न किए गए हों। केवल वही अभिलेख तकनीकी ई–निविदा में अपलोड किए जांय जो इस निविदा के माध्यम से वांछित हों अनावश्यक और अवांछित कोई भी अभिलेख तकनीकी ई–निविदा में अपलोड न किए जांय।

40) किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सचिव एवं मु0नि0अ0 के पास सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। उक्त के संदर्भ में सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। सशर्त कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा के सम्बन्ध में न्यायाधिकार क्षेत्र देहरादून मुख्यालय होगा। आवश्यकता पड़ने पर निविदा की नियम/शर्तों में संशोधन/परिवर्तन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

दिनांकः **दिसम्बर, 2017**

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

B S Rawat

ANNEXURE-1

फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग हेतु तकनीकी ई–निविदा प्रपत्र

1– फर्म का नामः–

2– फर्म का पता (टेलीफोन नम्बर/ई मेल आईडी सहित):–

3– फर्म का स्वरूप (एकल स्वयं/साझेदारी, यदि साझेदारी हो तो साझेदारी के पत्रजात):–

4– GST पंजीकरण संख्याः–
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

5– फर्म आदि का स्थाई लेखा संख्या (पैन नम्बर):–
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

6– फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त लेजर प्रिन्टिग कार्य करने के अनुभव का विवरणः–
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

7– विगत तीन वर्षों का टर्नओवर

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष–2014–15	वित्तीय वर्ष–2015–16	वित्तीय वर्ष–2016–17
1.	फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों/मतदाता फोटो पहचान पत्र आदि की सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त लेजर प्रिन्टिग–आपूर्ति कार्य पूर्ण करने का टर्नओवर (न्यूनतम ₹5.00 लाख) (प्रमाणित अभिलेखों की प्रति संलग्न करें)			
2.	फर्म का कुल टर्नओवर (न्यूनतम ₹20.00 लाख) (प्रमाणित अभिलेखों की प्रति संलग्न करें)			

8– किसी भी राज्य में ब्लेक लिस्टेड/फर्म के विरूद्ध कोई शासकीय कार्यवाही आदि से संबंधित अपेक्षित शपथ–पत्र संलग्न करें:–

9– किसी भी शासकीय देयता की बकाया न होने तथा वर्ष–2016–17 तक जमा आयकर रिटर्न का विवरण (प्रमाणित अभिलेखों की प्रति संलग्न करें)

10– धरोहर की जमा राशि का विवरणः–
(अपेक्षित रीति से संलग्न करें)

11– हैसियत का पूर्ण विवरणः–
(प्रमाणित अभिलेखों की प्रति संलग्न करें)

12– उत्तराखण्ड राज्य में कार्यालय/कार्याशाला का विवरणः–
(**ANNEXURE-2** में विवरण संलग्न करें)

13– विगत तीन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में ₹10.00 लाख तक के एकमुश्त कार्यादेश की प्रति/सन्तोषजनक कार्य करने के पश्चात भुगतान सम्बन्धी वांछित अभिलेख।

14– अन्य यदि कोई हो (उल्लेख करें)

संलग्नकों की संख्याः–

निविदा–दाता की घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि, फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिग से संबंधित निर्वाचन विभाग द्वारा ई–निविदा के लिए निर्धारित **प्रस्तर–1 से 40 तक** में उल्लिखित नियम/शर्तों को भली–भॉति से पढ़ व समझ लिया गया है और तत्पश्चात ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा रहा है। निविदा के लिए विभाग द्वारा नियत उपरोक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार करते हुए यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निविदा की नियम/शर्तों का किसी भी प्रकार से अनुपालन न करने या उल्लंघन करने के लिए फर्म/कम्पनी आदि उत्तरदायी होगी।

हस्ताक्षर.........................
पूरा नाम...
पूरा पता...
फोन/फैक्स नं0..मोबा0नं0...............................
ई–मेल आई.डी. –

फर्म की मुहर यहां
पर लगाई जाय।

B S Rawat 21-11

ANNEXURE-2

फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग हेतु तकनीकी ई–निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाला फर्म का उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थापित कार्यालय/कार्यशाला से संबंधित विवरण ।

1– फर्म का पूरा नामः–

2– फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित कार्यालय/कार्यशाला का पूरा पताः–

....

....

3– उत्तराखण्ड राज्य में उपरोक्त पते पर स्थित कार्याशाला में स्थापित लेजर प्रिन्टिरों/वर्करों आदि का विवरणः–

क्र. सं.	वर्तमान में स्थापित /उपलब्ध लेजर प्रिन्टर/ प्रिन्टरों की कुल संख्या	लेजर प्रिन्टर किस कम्पनी का है (प्रिन्टर का पूरा नाम, सीरीज और **Manufacturing Year** भी दें)	लेजर प्रिन्टर/ प्रिन्टरों की **DPI** क्षमता	प्रति मिनट **A4** साईज के पेजों की लेजर प्रिन्टिग क्षमता	एक दिन में (कम से कम 10 घण्टे) लेजर प्रिन्ट करने के कुल पेजों की क्षमता	लेजर प्रिन्टर की **NON Stop** कार्य करने की क्षमता (घण्टों में)	विद्युत आपूर्ति वाधित होने पर लेजर प्रिन्टरों के संचालन हेतु निर्वाध रूप से विद्युत की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है	फर्म की कार्यशाला में उपलब्ध कुल कम्प्यूटरों की संख्या	कार्यशाला में कार्य करने वाले अनुभवी वर्करों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

निविदा–दाता की घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि, फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिग से संबंधित निर्वाचन विभाग द्वारा निविदा के लिए उपरोक्त निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना वास्तविक रूप से भौतिक स्थिति के आधार पर ही प्रस्तुत की जा रही है। विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किए जाने पर इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा भिन्नता पाए जाने पर फर्म/कम्पनी आदि उत्तरदायी होगी।

हस्ताक्षर........................
पूरा नाम..
पूरा पता..
....

फर्म की मुहर यहां पर लगाई जाय।

पैन नं0..
फोन/फैक्स नं0..
मोबा0नं0..
ई–मेल आई डी0–

B.S. Rawat

उत्तराखण्ड सरकार,
निर्वाचन विभाग

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़ देहरादून।
टेलीफोन– 0135–2713551, 2713552 फैक्स नं0–2713724
Email ID = election09@gmail.com & ceo_uttaranchal@eci.gov.in

संख्या– 2790 /XXV – 32 / 2017 दिनांकः देहरादून 15 दिसम्बर, 2017

मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी हेतु Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति एवं Printing of elector Details on PVC Cards के लिए "ई–निविदा"

भाग–एक

ई–निविदा आवेदन हेतु शुल्क ₹5000.00 (पाँच हजार) **Non Refundable**

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान एवं आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया आदि के अन्तर्गत **मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी हेतु** Non Personalized Pre-printed PVC Card **की आपूर्ति एवं** Printing of Elector Details on PVC Cards **के लिए** GST पंजीकृत अनुभवी, प्रतिष्ठित फर्मों आदि से निम्न प्रकार द्वि–निविदा प्रणाली के अन्तर्गत वेबसाईट **www.uktenders.gov.in** के माध्यम से **ई–निविदा** आमंत्रित की जाती हैः–

01.	वेबसाईट **www.uktenders.gov.in** पर निविदा उपलब्ध होने की तिथि	:	15.दिसम्बर, 2017
02.	वेबसाईट **www.uktenders.gov.in** पर नियत शर्तों–निर्देशों के अनुसार तकनीकी और वित्तीय ई–निविदा ऑन लाईन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	03 जनवरी, 2018 बुधवार पूर्वान्ह 11:00 बजे
	निर्धारित नियम–शर्तों / निर्देशों के अनुसार तकनीकी ई–निविदा के रूप में अन्य अभिलेखों के साथ–साथ वेबसाईट में अपलोड ई–निविदा आवेदन शुल्क और धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) का अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक की मूलप्रति (Original Copy) से संबंधित सील्ड लिफाफा जिसके शीर्ष में **"मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी–आपूर्ति हेतु"** ***ई–निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो भी हो लिखा होना चाहिए,"*** को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	:	03 जनवरी, 2018 बुधवार पूर्वान्ह 11:00 बजे
03.	निविदा समिति / अधिकृत अधिकारियों द्वारा ई–निविदा की तकनीकी निविदा खोले जाने तथा नियमानुसार तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन आदि हेतु तिथि और समय	:	03 जनवरी, 2018 बुधवार अपरान्ह 02:00 बजे से
04.	तकनीकी ई–निविदा में सफल निविदा–दाताओं की नियमानुसार वित्तीय ई–निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	:	सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार यथा समय।

B Sehawat

भाग–दो

कार्य क्षेत्र में समाहित कार्य का विवरण
(Scope of Work)

1. प्रत्येक वर्ष विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान एवं आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया आदि के अन्तर्गत **मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी हेतु Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति एवं Printing of Elector Details on PVC Cards** का कार्य किया जायेगा।
2. **Printing of Elector Details on PVC Cards का कार्य निर्धारित Software के माध्यम से ही किया जायेगा जिसके लिए प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में आवश्यक संख्या में उच्च गुणवत्ता के अपेक्षित प्रिंटर स्थापित करने के साथ–साथ समय–समय पर आयोग द्वारा नियत मानक और मापदण्डों के अनुसार Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति के उपरान्त Printing of Elector Details on PVC Cards का कार्य किया जायेगा।**
3. कार्य के सुचारू संचालन और सम्पादन के लिए अपेक्षित प्रिन्टर, कम्प्यूटर एवं उक्त कार्य में दक्ष उच्च कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर जिला निर्वाचन कार्यालयों में संबंधित फर्म के द्वारा तैनात किए जायेगें।
4. प्रति वर्ष जनपदवार Scope of Work का पूर्णतः अनुमानित विवरण, जिसमें प्रतिवर्ष नए सम्मिलित होने वाले मतदाता और कतिपय मतदाताओ के द्वारा विभिन्न कारणों से अपने पुराने EPIC के स्थान पर नया EPIC प्राप्त करने का अनुमान भी सम्मिलित है, जो घट–बढ़ सकता है निम्न प्रकार हैः–

जनपद का नाम	आयोग द्वारा नियत मानकों के अनुसार प्रति वर्ष आपूर्ति–प्रिन्ट किए जाने वाले पूर्णतः अनुमानित कुल PVC Card	ई–निविदा हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (EMD) (₹)
1.उत्तरकाशी	12000	10000
2.चमोली	16000	10000
3.रूद्रप्रयाग	10000	5000
4.टिहरी गढ़वाल	24000	15000
5.देहरादून	55000	30000
6.हरिद्वार	60000	30000
7.पौड़ी गढ़वाल	27000	15000
8.पिथौरागढ़	20000	10000
9.बोगश्वर	10500	5000
10.अल्मोड़ा	22000	15000
11.चम्पावत	11000	5000
12.नैनीताल	30000	15000
13.ऊधमसिंहनगर	48000	25000
Grand Total-	**345500**	**190000**

BSRawat

भाग–तीन

PVC EPIC Cards हेतु अति–विशिष्ट तकनीकी विशिष्टियाँ।

Specifications of PVC Card:- The PVC Card should have the following dimension and security printing (as per Sample provide by ECI) :-

(a) Specifications of Pre-printed Non Personalized PVC Cards:

(i) Size: 8.6cm vertical and 5.4cm horizontal
(ii) Thickness: 0.7 mm
(iii) Photo box size: 32 mm vertical and 24 mm Horizontal

(b) Specifications for Security printing

Front:-

(i) Spiral micro letters line (EPIC) in art screen
(ii) Three colour guilloche design
(iii) The National Emblem with guilloche design for invisible printing which can be seen by ultra violet light.
(iv) The National Emblem printed on the upper left hand corner and Election Commission of India logo printed on the upper right hand corner in colour.

Back:-

(i) Relief tint of "Election Commission of India" in bilingual i.e. English and Hindi.

Personalizaton:-

Front:-

(i) Election Commission of India in English and Hindi on the top.
(ii) Elector Photo Identity Card in English and Hindi of the below Election Commission of India.
(iii) Colour photo of the elector. (the size of photograph of will be 3.2cm vertical x 2.4 cm horizontal) and of resolution 320x240 pixel.
(iv) EPIC number of the elector printed in alphebets and numbers and also as a bar code.
(v) Name ot the elector, in English and Hindi.
(vi) Relation name printed in English and Hindi.

Back:-

(i) Sex printed in English and Hindi.
(ii) Date of birth/age printed in English.
(iii) Address printed in English and Hindi.
(iv) Number and Name of assembly constituency printed in English and Hindi.
(v) Part no and name in English and Hindi.
(vi) Scanned signature of Electoral Registration Officer.
(vii) Note:-
The following notes printed in English and Hindi:-
(a) Mere possession of Elector Photo Identity Card is no guarantee of name being present in electoral rolls. Please check your name in the current electoral rolls before every election.
(b) Date of birth mentioned inthis Card shall not be treated as proof of age or date of birth for any purpose other than registration in electoral rolls.

Technology to be used:- Dye Sublimation card printing

Equipment to be used :- Double sided Dye Sublimation PVC card Printer with minimum Speed of 125 cards per hour for double side printing in front side Color & back side black in one single pass.

Ribbon to be used:- **YMCKOKO ribbon**

B S Rawat

भाग–चार

Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति एवं Printing of elector Details on PVC Cards, हेतु निविदा–दाताओं के लिए विशेष निर्देश एवं आवश्यक शर्तें।

1) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में दो प्रस्ताव निविदा प्रणाली के आधार पर **Non Personalized Pre-printed PVC Card** की आपूर्ति एवं **Printing of elector details on PVC Cards.** के कार्य हेतु फर्मों को **सूचीबद्ध किए जाने के लिए** इच्छुक निविदा–दाताओं से **दिनांक 03 जनवरी, 2018 (बुधवार) पूर्वान्ह 11:00 बजे तक** वेबसाईट **www.uktenders.gov.in** के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय ई–निविदा केवल ऑन लाईन आमंत्रित की जाती है।

2) ई–निविदा में प्रतिभाग करने के लिए निविदादाताओं के पास DSC (Digital Signature Certificate) होना अनिवार्य है।

3) निविदा–दाता द्वारा तकनीकी बिड **ANNEXURE-1** में एवं वित्तीय बिड **BOQ** में केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म आदि के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड के साथ विभागीय ई–निविदा के इस सम्पूर्ण अभिलेख को भी हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

4) उल्लिखित अन्तिम तिथि व समय तक प्राप्त **ई–निविदाओं** की तकनीकी निविदाओं को, **दिनांक 03 जनवरी, 2018 (बुधवार) को अपरान्ह 02:00 बजे से** निविदा समिति के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा खोला जायेगा और तत्पश्चात तकनीकी ई–निविदाओं का अधिकृत सक्षम अधिकारियों के द्वारा मूल्यांकन (Evaluation) किया जायेगा।

5) निविदा–दाता फर्म आदि का GST **रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अभिलेखों की सत्यापित छाया प्रति,** जिसमें पैन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति भी हो, ई–तकनीकी निविदा के साथ उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

6) निविदा दाता फर्म आदि का उत्तराखण्ड राज्य में कार्यालय / कार्यशाला होना चाहिए तथा कार्यशाला में इस निविदा के भाग–3 के अनुसार निर्धारित प्रिन्टर और कम्प्यूटर आदि उपलब्ध होने चाहिएं जिन्हें भविष्य में उक्त कार्य के प्रयोजन के लिए जिला निर्वाचन कार्यालयों में स्थापित करने हेतु भेजा जा सके।

7) निविदा–दाता फर्म आदि का मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी, सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त आपूर्ति करने या समान प्रकृति के शासकीय कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

8) मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी एवं आपूर्ति या समान प्रकृति के शासकीय कार्य सम्बन्धी विगत तीन वर्षों में ***(वित्तीय वर्ष–2014–15, 2015–16 एवं 2016–17)*** *प्रत्येक वर्ष में **कम से कम 5.00 लाख (पाँच लाख)*** का टर्न ओवर होना चाहिए। **इसी प्रकार फर्म का उल्लिखित वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कम से कम कुल** ₹20.00 लाख (बीस लाख) का टर्न ओवर होना चाहिए। ***टर्नओवर से संबंधित सी०ए० के द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंस शीट की प्रमाणित छाया प्रति भी*** उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

B s Rawat

9) उक्त तीनों वित्तीय वर्ष में से किसी भी एक वित्तीय वर्ष में उल्लिखित कार्य से संबंधित एक समय में कम से कम **₹5.00 लाख तक के एकमुश्त** कार्यादेश की प्रमाणित छाया प्रति एवं गुणवत्तायुक्त सन्तोषजनक ढंग से कार्य करने के पश्चात भुगतान से संबंधित अभिलेख/अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

10) निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म आदि को भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। फर्म आदि को **₹100.00 के नॉन जूडिशियल** स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ–पत्र ***ई–तकनीकी निविदा के साथ*** प्रस्तुत करना होगा कि:–

1– फर्म आदि किसी भी राज्य में ब्लेक लिस्टेड नहीं है और न ही उसकी जमानत की धनराशि को जब्त किया गया है।
2– किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी प्रकार का विधिक विवाद भी नहीं है।
3– तकनीकी ई–निविदा के साथ फर्म द्वारा प्रस्तुत सभी सूचनाएं/अभिलेख सत्य हैं और कोई भी सूचना, जिसे निविदा के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था छिपाई नहीं गई है।

11) निविदा–दाता फर्म आदि को **आयकर एवं अन्य किसी भी कर जो भी देय हों, का बकायादार/देनदार नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष–2016–17 तक** के जमा आयकर रिटर्न से **संबंधित रसीद/अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति *ई–तकनीकी निविदा के साथ* प्रस्तुत करनी** अनिवार्य होगी।

12) निविदा के साथ धरोहर (EMD) के रूप में **निविदा Document के भाग–2** में अंकित तालिका में विवरण के अनुसार प्रत्येक जनपद के लिए धरोहर की धनराशि नियत की गई है, तदनुसार जिस जनपद के लिए ई–निविदा प्रस्तुत की जा रही है उसके अनुसार धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, बैंक गारण्टी या सावधि जमा रसीद जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, और **मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड (Chief Electoral Officer Uttarakhand)** के पक्ष में तैयार किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13) धरोहर की धनराशि का बैंक ड्रफ्ट या अपेक्षानुसार अन्य जो भी हो, की फोटो स्टेट स्व प्रमाणित प्रति तकनीकी ई–निविदा के साथ में वेबसाईट में अपलोड करनी होगी और इसकी मूल प्रति जिसके पृष्ठ भाग पर फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षर किया गया हो, को एक सील्ड लिफाफें में रखते हुए लिफाफे के शीर्ष पर **'Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति एवं Printing of elector details on PVC Cards कार्य लिखा हो''** और फर्म का पूरा नाम और पता भी स्पष्ट अंकित किया गया हो दिनांक 03 जनवरी, 2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़ देहरादून में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई फर्म राज्य के समस्त जनपदों के लिए अपनी निविदा प्रस्तुत कर रही हो तो धरोहर धनराशि एक ही बैंक ड्राफ्ट अथवा अन्य जो भी अपेक्षित है प्रस्तुत किया जा सकता है किन्तु यदि केवल एक या कुछ ही जनपदों के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है तो तदनुसार अलग–अलग जनपद के लिए धरोहर की धनराशि के अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट या अन्य जो भी अपेक्षित है अलग–अलग प्रस्तुत करने होंगें।

14) निर्वाचन कार्यों की तात्कालिकता, महत्ता और समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए निविदा–दाता फर्म आदि का **उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत** विगत कम से कम तीन वर्षों से **पूर्ण रूप से स्थापित कार्यालय एवं कार्यशाला का होना नितान्त आवश्यक होगा।** इसी कार्यालय एवं कार्यशाला से फर्म के द्वारा विगत तीन वर्षों तक फोटो पहचान पत्रों/निर्वाचन

BSRawat

विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग/कार्यालयों का समान प्रकृति का कार्य सम्पादित किया गया हो।

15) निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म आदि के पास **प्रत्येक दिन कम से कम पाँच हजार** PVC Card **रंगीन प्रिन्टिग की** क्षमता रखने वाले उच्च गुणवत्ता के विशिष्ट तकनीकी प्रिन्टर होने चाहिए।

16) सफल निविदा–दाता को प्रथम चरण में उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में आवश्यक संख्या में उच्च गुणवत्ता के इण्टरनेट कनेक्शनयुक्त कम्प्यूटर स्थापित करने के साथ–साथ विशिष्ट तकनीकीयुक्त PVC Card प्रिन्टर स्थापित करने होंगें। इस प्रकार जनपद मुख्यालय में ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित साफ्टवेयर के माध्यम से EPIC Generate कर निर्देशानुसार PVC Card प्रिन्टर से प्रिन्ट कर उपलब्ध कराने अनिवार्य होंगे।

17) सफल निविदा–दाता को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माप, गुणवत्ता के अनुरूप ही आवश्यकतानुसार Non Personalized Pre-printed PVC Card की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कमी या न्यूनता को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा।

18) भारत निर्वाचन आयोग के नवीनत्तम दिशा–निर्देशों के अनुसार ERO Net में EPIC Generate करने के उपरान्त विभाग द्वारा EPIC की PDF तैयार की जायेगी और इसी PDF से संबंधित फर्म के द्वारा विशिष्ट तकनीकी प्रिन्टर के माध्यम से उच्च गुणवत्ता के साथ PVC Card में Personalized PVC EPIC प्रिन्ट करने होंगे। उपरोक्त कार्य के समय पर सफल सम्पादन के लिए प्रत्येक जनपद में कम्प्यूटर, विशिष्ट PVC Card प्रिन्टर के साथ–साथ आवश्यक संख्या में कम्प्यूटर दक्ष कार्मिक भी रखने होंगे।

19) कार्यपूर्ति आदेश के उपरान्त अधिकतम 05 दिन के अन्दर कार्य प्रारम्भ न करने और अपेक्षानुसार Personalized PVC EPIC उपलब्ध न कराने पर **पाँच हजार प्रति दिन** की दर से Penalty लागू होगी। पाँच दिन से अधिक किन्तु 9 दिन तक के व्यवधान पर Penalty की धनराशि दस हजार प्रतिदिन होगी। कार्य में असमर्थ पाये जाने पर संबंधित सफल निविदा–दाता की जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी जो Penalty की धनराशि के अतिरिक्त होगी।

20) निर्धारित मानक, माप, मात्रा और गुणवत्ता के साथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार/मतदेय स्थलवार प्रिन्ट किए गए समस्त PVC EPIC को अच्छी तरह से मतदेय स्थलवार रबरबैण्ड करते हुए वितरण हेतु निर्धारित तिथि तक जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित वेण्डर का होगा।

21) जिला निर्वाचन कार्यालय भण्डार तक Non Personalized Pre-printed PVC Card **की आपूर्ति,** PVC Card प्रिन्टर से Personalized PVC EPIC प्रिन्ट करने हेतु अलग से कोई किराया–भाड़ा, लोडिंग/अनलोडिंग हेतु मजदूरी या अन्य कोई भी पारिश्रमिक देय नहीं होगा वित्तीय निविदा में उक्त सम्पूर्ण कार्य के लिए सभी करों सहित दर प्रस्तुत करनी होगी।

22) निविदा के साथ अपेक्षित **धरोहर की धनराशि अपेक्षानुरूप** प्रस्तुत न करने पर तकनीकी ई–निविदा मान्य नहीं होगी। तकनीकी ई–निविदा **ANNEXURE-1** के साथ सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र रखे जायेंगे। वित्तीय ई–निविदा केवल BOQ में Online प्रस्तुत की जायेगी।

23) निर्धारित तिथि, समय पर निविदा समिति के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा ई–तकनीकी निवादाएं खोली जायेगी। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण के उपरान्त अर्ह निविदा–दाताओं की सूची तैयार की जायेगी। ई–तकनीकी निविदा में अर्ह पाये गये निविदा–दाताओं की ही यथा समय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार

B S Rawat

वित्तीय ई–निविदाएं खोली जायेगी। अन्य अनर्ह पाए गए निविदा–दाताओं की वित्तीय ई–निविदा नहीं खोली जायेंगी।

24) नियमानुसार ई–तकनीकी निविदा में अर्ह पाई गई फर्म आदि की ई–वित्तीय निविदा को ही खोला जायेगा। ई–वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात जिस फर्म आदि को न्यूनत्तम निविदा के आधार पर एल0–1 की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा ऐसी किसी भी फर्म आदि को उनके द्वारा प्रस्तुत न्यूनत्तम दर के आधार पर आगणित धनराशि का ***10 प्रतिशत की धनराशि*** एकाउण्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट, कमर्शियल बैंक की फिक्स डिपोजिट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारण्टी **के द्वारा कार्यपूर्ति जमानत के रूप में प्रस्तुत करनी होगी, जिसकी वैधता तीन वर्ष छः माह की होनी चाहिए।** फर्म आदि के लिखित अनुरोध पर उसकी निविदा धरोहर की धनराशि को जमानत की धनराशि में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। कदाचित जमानत की धनराशि, धरोहर की धनराशि से कम होने पर धरोहर की पूर्ण धनराशि को ही जमानत के रूप में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा इसके किसी भाग को वापस नहीं लौटाया जायेगा।

25) वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात निविदा समिति के द्वारा एल0–01 में वर्गीकृत फर्म आदि के द्वारा, कदाचित यदि उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर करने का लिखित अनुरोध किया जाता है, या निर्धारित तिथि, समय तक अपेक्षित जमानत की धनराशि जमा नहीं की जाती है, या किसी भी प्रकार से निविदा प्रक्रिया से विमुख होने/सम्मिलित होने पर असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

26) निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर एल0–01 में वर्गीकृत फर्म आदि द्वारा कार्यादेश निर्गत होने पर नियत तिथि तक कार्य प्रारम्भ न करने, या अपेक्षित गुणवत्ता के साथ PVC EPIC Card आपूर्ति न करने आदि पर संबंधित फर्म की जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और फर्म को नियमानुसार ब्लेक लिस्टेड करते हुए **Liquidated Damage के रूप में प्रस्तर–19 में निहित प्राविधानों के अनुसार विभाग द्वारा दावा किया जा सकेगा।** ऐसी स्थिति में विभाग, फर्म आदि के विरूद्ध न्यायिक/दण्डात्मक कार्यवाही के लिए भी स्वतंत्र होगा।

27) Non Personalized Pre-printed PVC Card के ट्रॉसपोर्टेशन, लोडिंग–अनलोडिंग या अन्य किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा और इस हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा या क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। फर्म/कम्पनी/साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि उक्त के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

28) नियमानुसार किसी भी फर्म/कम्पनी आदि की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात फर्म/कम्पनी आदि को ₹100.00 के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर तत्काल अनुबन्ध करना होगा जिसकी विषय वस्तु से यथा समय अवगत करा दिया जायेगा।

29) **तकनीकी निविदा के साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माप, मानक एवं गुणवत्ता के साथ कम से कम 05 (पाँच) Non Personalized Pre-printed PVC Card के नमूने प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। इस हेतु आयोग द्वारा नियत Security features के अनुसार इनकी जाँच की जायेगी तथा UV Light में यह भी देखा जायेगा कि क्या Non Personalized Pre-printed PVC Card के मध्य यथा स्थान National Emblem और इस पर यथा स्थान *सत्यमेव जयते* भी लिखा हुआ साफ–साथ दिखाई दे रहा कि नहीं। उक्त नमूनें ई–तकनीकी निविदा के भाग होंगें जिन्हें सील्ड बंद लिफाफे में दिनांक 03 जनवरी, 2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। लिफाफे के शीर्ष पर Non Personalized Pre-printed PVC Card के नमूने स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए तथा तलांश में फर्म का नाम और पूरा पता अंकित होना चाहिए। Non**

B S Rawat

Personalized Pre-printed PVC Card का नमूना (सॉफ्ट कॉपी) **ANNEXURE-3** पर संलग्न है।

30) **तकनीकी निविदा** सम्बन्धी लिफाफे के अन्दर निम्नलिखित अभिलेखों आदि की **प्रमाणित छाया प्रति जिनके** प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म/कम्पनी की मुहर भी लगी हो तथा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हों **ANNEXURE-1** पर सांराश सहित रखी होनी चाहिए:–

1–**GST रजिस्ट्रेशन संबंधी** अभिलेख स्व प्रमाणित छाया प्रति

2–फर्म आदि का पैन कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति

3–मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी एवं आपूर्ति से संबंधित कार्य के *अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।*

4–अपेक्षित वित्तीय वर्षों की टर्नओवर से संबंधित सी०ए०द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट की प्रमाणित छाया प्रति।

5–ब्लेक लिस्टेड न होने का नोटरी के समक्ष तैयार शपथ–पत्र **मूल में**

6–विगत तीन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में **₹5.00 लाख** तक के एकमुश्त कार्यादेश की प्रति/सन्तोषजनक कार्य करने के पश्चात भुगतान सम्बन्धी वांछित अभिलेख।

7–किसी भी प्रकार के कर जो भी देय हों, का बकायादार/देनदार नहीं होने, वित्तीय वर्ष–2016–17 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेख।

8–धरोहर की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट आदि अपेक्षानुसार।

9–निविदा हेतु निर्धारित नियम/शर्तों के इस अभिलेख की प्रमाणित छाया प्रति जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म/कम्पनी आदि की मुहर सहित अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हों।

10–अन्य अभिलेख यदि कोई हों, फर्म/कम्पनी की मुहर अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित।

11– उत्तराखण्ड राज्य में कार्यालय/कार्यशाला का विवरण, कार्यशाला में स्थापित विशिष्ट तकनीकी के प्रिन्टरों, कम्प्यूटर की कुल संख्या Annexure-2 पर ।

12– **Non Personalized Pre-printed PVC Card** के 05–05 नमूने अपेक्षानुसार।

31) तकनीकी ई–निविदा में प्राप्त अभिलेखों के आधार पर अर्ह पाई गई फर्म आदि का उत्तराखण्ड राज्य में कार्यालय एवं कार्यशाला स्थापित होने एवं कार्य क्षमता आदि का विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा जिसमें कार्यशाला में स्थापित विशिष्ट तकनीकी प्रिन्टरों, कम्प्यूटरों आदि का विशेष रूप से सत्यापन कर क्षमता का आंकलन किया जायेगा। कार्यालय/कार्यशाला के भौतिक सत्यापन के पश्चात ही अन्तिम रूप से तकनीकी ई–निविदा की अर्हता का मूल्यांकन किया जायेगा। अन्तिम रूप से तकनीकी अर्हता के आधार पर अर्ह पाई गई निविदाओं के आधार पर ही वित्तीय ई–निविदाओं को खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी। कार्यालय एवं कार्यशाला के सत्यापन की उक्त कार्यवाही

तकनीकी ई–निविदाओं को खोले जाने की कार्यवाही के पश्चात ही, सचिव एवं मु0नि0अ0 द्वारा अधिकृत अधिकारियों के द्वारा यथा समय सुनिश्चित की जायेगी।

32) कार्यापूर्ति आदेश के पश्चात फर्म/कम्पनी के द्वारा आपूर्ति किए गए **Non Personalized Pre-printed PVC Card** एवं **Personalized PVC EPIC** प्रिन्टिग की सक्षम तकनीकी विभाग/ कार्यालय/प्रयोगशाला से जॉच करवाई जा सकती है तथा जॉचोपरान्त गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित देयकों का न तो भुगतान किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा साथ ही जमानत की धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए संबंधित फर्म आदि स्वयं उत्तरदायी होगी। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही करते हुए क्षतिपूर्ति का दावा भी किया जा सकेगा।

33) निविदा शर्तों के अधीन सन्तोषजनक ढंग से आपूर्ति किए जाने के फलस्वरूप विभाग का समाधान हो जाने के पश्चात ही आपूर्तिकर्ता फर्म/कम्पनी आदि को एक माह पश्चात अथवा निविदा की वैद्यता समाप्ति के पश्चात प्रमुख सचिव एवं मु0नि0अ0 अधिकारी के निर्देशानुसार ही उनकी जमानत की धनराशि लौटाए जाने पर विचार किया जायेगा।

34) देयक की कुल धनराशि के सापेक्ष विभाग द्वारा नियमानुसार आयकर/टी0डी0एस0 आदि की कटौती की जायेगी। भुगतान की सम्पूर्ण कार्यवाही जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा ही की जायेगी।

35) सामान्यतः धरोहर धनराशि की वैधता निविदा की अन्तिम वैध अवधि के पश्चात 45 दिन होगी परन्तु इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। तकनीकी रूप असफल निविदा–दाताओं की धरोहर की धनराशि ऐसी निविदाओं की अस्वीकृति के तुरंत पश्चात संबंधित फर्म को वापस लौटा दी जायेगी।

36) एक से अधिक फर्मों की न्यूनत्तम दर एक समान होने पर कार्य आवंटन हेतु सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। निर्वाचन कार्यों की तात्कालिकता, महत्ता एवं समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर एल–01 में वर्गीकृत (अन्तिम रूप से तकनीकी अर्हता प्राप्त फर्म की न्यूनत्तम दर) फर्म एवं तकनीकी आधार पर अन्तिम रूप से अर्ह पाई गई अन्य फर्म/फर्मों आदि के मध्य एल–01 की न्यूनत्तम दरों पर **जनपदवार /विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार कार्य विभाजन करने का अधिकार भी सचिव एवं मु0नि0अ0 के पास सुरक्षित होगा।**

37) **फर्म/फर्मों की एल–01 की न्यूनत्तम दरों से अनुरूप (Match)होने पर भी फर्म/फर्मों की समयान्तर्गत कार्यक्षमता सिद्ध न होने पर संबंधित फर्म/फर्मों आदि को कार्यादेश निर्गत करने की कोई वाध्यता नहीं होगी। पूर्ण रूप से तकनीकी अर्हता सिद्ध होने पर ही कार्य विभाजन का अधिकार प्रमुख सचिव एवं मु0नि0अ0 के पास सुरक्षित होगा।**

38) कोई भी निविदा–दाता किसी भी एक जनपद के लिए, एक से अधिक जनपद के लिए अथवा राज्य के सभी 13 जनपदों के लिए निविदा प्रस्तुत कर सकता है। अन्तिम रूप से तकनीकी अर्हता प्राप्त जिस फर्म की दरें जिस जनपद/जनपदों के लिए निविदा समिति के द्वारा एल–01 में वर्गीकृत की जाती है, संबंधित जनपद/जनपदों का कार्य उसी फर्म को आवंटित किया जायेगा।

39) **भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त Non Personalized Pre-printed PVC Card का नमूना निविदा प्रकाशन की तिथि से 29 दिसम्बर, 2017 तक किसी भी कार्यदिवस व कार्यालय समय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून में देखा जा सकता है।** कार्यादेश निर्गत होने से पूर्व सफल निविदा–दाता को निविदा समिति द्वारा चयनित नमूने के अनुरूप **PVC Card** के 5–5 नमूने प्रति जनपद के हिसाब से मुख्यालय को उपलब्ध कराने

RS Rawat

होंगे। निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी के लिए निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 तक किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समयान्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून में व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 0135–2713551 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

40) निविदा की वैद्यता तीन वर्ष होगी किन्तु कदाचित अपरिहार्य परिस्थिति में निविदा की वैद्यता की अवधि को कम करने और समाप्त करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

41) किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का प्रमुख सचिव एवं मु0नि0अ0 के पास सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। उक्त के संदर्भ में सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। सशर्त कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा के सम्बन्ध में न्यायाधिकार क्षेत्र देहरादून मुख्यालय होगा। आवश्यकता पड़ने पर निविदा की नियम/शर्तों में संशोधन/परिवर्तन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

दिनांकः **दिसम्बर, 2017**

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

B S Rawat

ANNEXURE-1

Pre-printed Non Personalized PVC Cards की आपूर्ति और Printing of elector details on PVC cards हेतु तकनीकी ई–निविदा की अर्हता का प्रारूप

1– फर्म का नामः–

2– फर्म का पता (टेलीफोन नम्बर/ई मेल आईडी सहित):–

3– फर्म का स्वरूप (एकल स्वयं/साझेदारी, यदि साझेदारी हो तो साझेदारी के पत्रजात):–

4– GST पंजीकरण संख्याः–
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

5– फर्म आदि का स्थाई लेखा संख्या (पैन नम्बर):–
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

6– मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी एवं आपूर्ति से संबंधित कार्य करने के अनुभव का विवरणः–(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

7– विगत तीन वर्षों का टर्नओवर

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष–2014–15	वित्तीय वर्ष–2015–16	वित्तीय वर्ष–2016–17
1.	मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी एवं आपूर्ति या किसी भी शासकीय विभाग/कार्यालय में समान प्रकृति से संबंधित कार्य करने का टर्नओवर (न्यूनत्तम ₹5.00 लाख) (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)			
2.	फर्म का कुल टर्नओवर (न्यूनतम ₹20.00 लाख) (प्रमाणित अभिलेखों की प्रति संलग्न करें)			

8– किसी भी राज्य में ब्लेक लिस्टेड/फर्म के विरूद्ध कोई शासकीय कार्यवाही आदि से संबंधित अपेक्षित शपथ–पत्र संलग्न करें:–

9– किसी भी शासकीय देयता की बकाया न होने तथा वर्ष–2016–17 तक जमा आयकर रिटर्न का विवरण (प्रमाणित अभिलेखों की प्रति संलग्न करें)

10– धरोहर की जमा राशि का विवरणः–
(अपेक्षित रीति से संलग्न करें)

11– उत्तराखण्ड राज्य में कार्यालय/कार्याशाला का विवरणः–
(ANNEXURE-2 में विवरण संलग्न करें)

12– विगत तीन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में ₹5.00 लाख तक के एकमुश्त कार्यादेश की प्रति/सन्तोषजनक कार्य करने के पश्चात भुगतान सम्बन्धी वांछित अभिलेख।

13– Pre-printed Non Personalized PVC Cards के नमूने अपेक्षानुसार।

14– अन्यः–

संलग्नकों की संख्याः–

B.S. Rawat

<u>निविदा–दाता की घोषणा</u>

प्रमाणित किया जाता है कि, Pre-printed Non Personalized PVC Cards की आपूर्ति तथा Printing of elector details on PVC cards **कार्य निर्धारित साफ्टवेयर के माध्यम से किए जाने हेतु** निर्वाचन विभाग द्वारा निविदा के लिए निर्धारित **प्रस्तर–1 से 41 तक** में उल्लिखित नियम/शर्तों को भली–भॉति से पढ़ व समझ लिया गया है और तत्पश्चात ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा रहा है। निविदा के लिए विभाग द्वारा नियत उपरोक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार करते हुए यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निविदा की नियम/शर्तों का किसी भी प्रकार से अनुपालन न करने या उल्लंघन करने के लिए फर्म/कम्पनी आदि उत्तरदायी होगी।

हस्ताक्षर.......................

पूरा नाम...

पूरा पता...

....

पैन/टैन नं0...

फोन/फैक्स नं0..

मोबा0नं0...

फर्म की मुहर यहां पर लगाई जाय।

ANNEXURE-2

Pre-printed Non Personalized PVC Cards की आपूर्ति और Printing of elector details on PVC cards हेतु तकनीकी ई–निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाला फर्म का उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थापित कार्यालय/कार्यशाला से संबंधित विवरण ।

1– फर्म का पूरा नामः–

2– फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित कार्यालय/कार्यशाला का पूरा पताः–

....

....

3– उत्तराखण्ड राज्य में उपरोक्त पते पर स्थित कार्याशाला में विशिष्ट तकनीकी के प्रिन्टिरों आदि का विवरणः–

क्र. सं.	वर्तमान में फर्म के पास उपलब्ध PVC EPIC प्रिन्टिंग हेतु विशिष्ट तकनीकी के प्रिन्टरों की कुल संख्या	प्रिन्टर किस कम्पनी के है (प्रिन्टर का पूरा नाम, सीरीज और Manufacturing Year भी दें)	क्या प्रिन्टर YMCKOKO Ribbon Enabled है (हाँ/नहीं)	एक दिन में (कम से कम 8 घण्टे प्रिन्टर चलने पर) PVC EPIC Card प्रिन्टिग की कुल क्षमता	प्रिन्टर की NON Stop कार्य करने की क्षमता (घण्टों में)	PVC EPIC Card प्रिन्टिग कार्य हेतु फर्म के पास उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या	PVC EPIC Card प्रिन्टिग कार्य हेतु अनुभवी वर्करों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							

<u>निविदा–दाता की घोषणा</u>

प्रमाणित किया जाता है कि, Pre-printed Non Personalized PVC Cards की आपूर्ति और Printing of elector details on PVC cards हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा निविदा के लिए उपरोक्त निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना वास्तविक रूप से भौतिक स्थिति के आधार पर ही प्रस्तुत की जा रही है। विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किए जाने पर इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा भिन्नता पाए जाने पर फर्म/कम्पनी आदि उत्तरदायी होगी।

हस्ताक्षर........................
पूरा नाम..
पूरा पता..
....
पैन नं0...
फोन/फैक्स नं0...
मोबा0नं0..
ई–मेल आई डी0–

फर्म की मुहर यहां पर लगाई जाय।

ANNEXURE-3

Non Personalized Pre-printed PVC Card का नमूना।

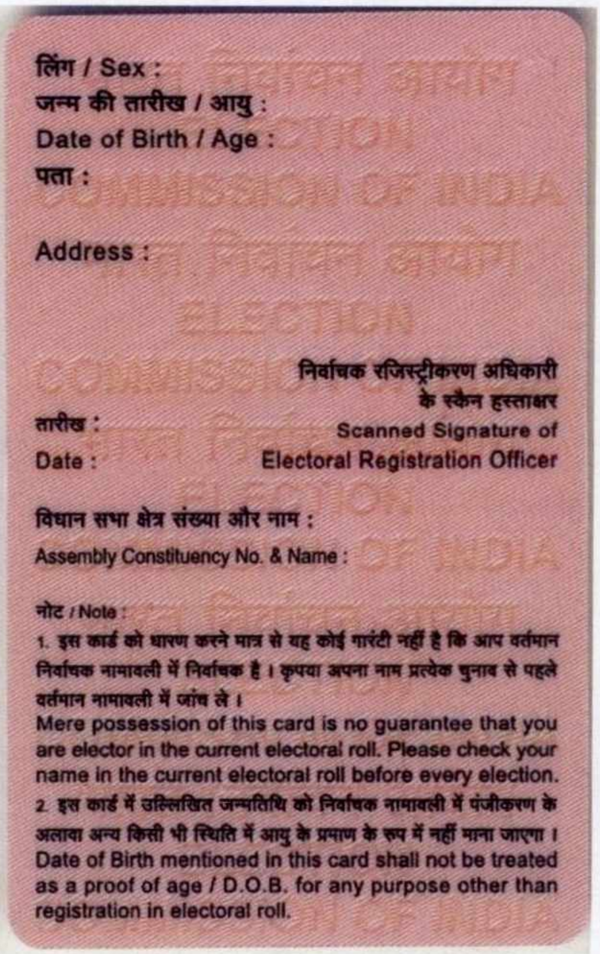

B.S. Rawal